

—एक सौ पांच—

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756 / ग्यारह-2008-500(165)-2007
लखनऊ, दिनांक 30 जून, 2008

अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल समय-समय पर और विशेष रूप से अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0 5-462/11-2006-500 (92)-2005, दिनांक 23 फरवरी, 2006 द्वारा यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या क0सं0वि05-3706/ग्यारह-98-500(20)-98, दिनांक 31 अगस्त, 1998 में, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

1. पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 1998, अनुसूची में, अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) 'हस्तान्तरण' से सम्बन्धित लिखतों में, स्तम्भ-3 में शब्द और अंक "125 रुपये से 80 रुपये" जहाँ कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक "125 रुपये से 50 रुपये " रख दिये जायेंगे।
2. पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी, 2006 द्वारा यथासंशोधित पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 1998 में अनुसूची में, शब्द और अंक "125 रुपये से 60 रुपये " जहाँ कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक "125 रुपये से 40 रुपये " रख दिये जायेंगे।
3. समय-समय पर यथासंशोधित पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 1998 में विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्-

"परन्तु यह और कि ऊपर कम संख्या-1 पर उल्लिखित संशोधन, अनुसूची एक-ख की सभी ऐसी लिखतों पर लागू होगा, जिनमें स्टाम्प शुल्क की प्रभायता अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) द्वारा आच्छादित है,

परन्तु यह भी कि राजस्व संग्रह को दृष्टिगत रखते हुए छः मास के पश्चात् इस अधिसूचना की समीक्षा के उपरान्त समुचित विनिश्चय किया जायेगा।"

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
गोविन्द नायर,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. S.V.K.N.-5-2756/ XI-2008-500-(165)-2007, dated June 30, 2008 for general information:

No. S.V.K.N.-5-2756/ x1-2008-500-(165)-2007
Dated: Lucknow, June 30, 2008

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of notification issued in this behalf, the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. K.S.V.5-3706/XI-98-500 (20)-98, dated August 31, 1998 as amended from time to time specially by notification no. S.V.K.N.5-462/XI-2006-500 (92)-2005, dated February 23, 2006, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

Amendment

- 1- In the aforesaid notification dated August 31, 1998 in the schedule, in the instruments relating to Article 23 clause (a), Conveyance, in column-3, for the words and figures, "from Rs. 125/- to Rs. 80/-" wherever occurring, the words and figures, "from Rs. 125/- to Rs. 50/-" shall be substituted,
- 2- In the aforesaid notification dated August 31, 1998 as amended by the foresaid notification dated February 23, 2006, in the schedule, for the words and figures, "Rs. 125/- to Rs. 60/- wherever occurring the words and figures "Rs. 125/- to Rs. 40/-" shall be substituted,
- 3- In the aforesaid notification dated August 31, 1998 as amended from time to time, after the existing proviso the following proviso shall be inserted, namely,-

Provided further that the amendment mentioned at serial number 1 above shall apply to all instruments of schedule 1-B in which the chargeability of Stamp duty is covered by clause (a) of Article 23,

Provided also that keeping in view the collection of revenue, proper decision shall be taken after reviewing this notification after six months.

By order,

Sd/- Illegible
GOVINDAN NAIR,
Pramukh Sachiv.